



## महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए आयोजन सचिव/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक को आवश्यक निर्देश

1. जिस महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हो वहां अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु शारीरिक शिक्षक को ही आयोजन सचिव बनाया जाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स बोर्ड से सम्बद्धता हेतु रुपये 6000/- छात्रों हेतु एवं रुपये 6000/- छात्राओं हेतु पृथक-पृथक रूप से जमा कराना है। स्पोर्ट्स बोर्ड म0 द0 स0 विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय की टीम ही अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेगी।
3. महाविद्यालयों को जिन खेलों में भाग लेना है उनकी प्रविष्टि रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संबंधित आयोजन सचिव एवं एक प्रति सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के पास निर्धारित तिथि से पूर्व पहुंच जानी चाहिए। प्रतिलिपि पर स्पोर्ट्स बोर्ड, म0 द0 स0 विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु शुल्क एवं खेल विकास शुल्क के ड्राफ्ट नं. एवं दिनांक अंकित करें।
4. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 10वीं, 12वीं एवं कॉलेज की सभी कक्षाओं की मूल अंकतालिकाओं (नेट से डाउनलोड मान्य नहीं) मय एक-एक फोटो प्रति के तथा पासपोर्ट साईज की चार फोटो कॉलेज में प्रवेश की रसीद, आधार कार्ड एवं महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र निश्चित रूप से अवश्य साथ लावें अन्यथा प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन एवं संबंधित खिलाड़ी की होगी। पूरक परीक्षा आने वाले विद्यार्थी प्रतिभागी नहीं होंगे।
5. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को विविध खेलों में भाग लेने के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र (कमांक 4 पर अंकित) पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
6. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता के अध्यक्ष विजेता एवं उपविजेता के प्रमाण पत्रों पर खिलाड़ी का छाया चित्र चिपकवाकर अपने हस्ताक्षर मय मोहर के वितरित करें। प्रमाण पत्र का लेखा जोखा मय नाम एवं कमांक के अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आयोजक महाविद्यालय प्रतियोगिता की समाप्ति के तीन माह के अन्दर समस्त अभिलेख प्रमाणित कर योग्यता प्रोफोर्मा, प्रमाण पत्रों का लेखा जोखा, परिचय पत्र की छायाप्रति तथा व्यय का ऑडिटेड स्टेटमेंट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की दो प्रतियां निर्धारित प्रपत्र में (आयोजन सचिव रिपोर्ट के साथ) अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजें तत्पश्चात ही अंशदान राशि भिजवाई जायेगी। तीन माह में उक्त प्रपत्र नहीं भेजे जाने पर विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. सभी खेलों के ड्रा अयोजन सचिव द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मुख निकाले जायेंगे। प्रविष्टि भेजकर भाग नहीं लेने एवं ड्रा से पूर्व सूचना ना देने वाले महाविद्यालयों को खेलकूद निर्देशिकाओं के अनुसार दण्डित किया जायेगा। आयोजन सचिव ऐसे महाविद्यालयों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे। सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि जिन खेलों में भाग लेना है उसी में अपनी प्रविष्टि भेजें।
9. क्रिकेट पुरुष प्रतियोगिता का ड्रा प्रविष्टि की अन्तिम तिथि के तीन दिन के बाद, खेल कूद/प्रतिनिधि के समक्ष डाला जावे। क्वार्टर फाईनल, सेमीफाईनल, फाईनल एवं चयन स्पर्धा भी इन्हीं के सम्मुख होगी। अन्तर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का जिस महाविद्यालय को आवंटन किया जायेगा उसे यह प्रतियोगिता आयोजित कराना अनिवार्य होगा। आयोजक महाविद्यालय खेल मैदान की स्थिति क्रिकेट मैच कराने लायक हो यह सुनिश्चित करें।
10. छात्रों के लिए इस सत्र में हेमर थ्रो, ट्रिपल जम्प, 100/400 मीटर बाधा दौड़ 10000 मीटर दोड़ तथा 5000 मीटर दोड़ तथा 5 किलोमीटर वॉक एवं पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर पुरुष/महिला हाफ मैराथन की होगी तथा आयोजक महाविद्यालय भाग लेने वाले महाविद्यालयों को डिटेल्ड प्रविष्टि हेतु दिनांक निश्चित कर सूचित करें।
11. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में अध्यक्ष प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक ही कोप्टेड मेम्बर की नियुक्ति कर सचिव खेल बोर्ड/आयोजन सचिव को सूचित करें।
12. आयोजक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जिन खेलों में छात्रों एवं छात्राओं की प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित होगी उनके रहने व खाने की व्यवस्था समुचित रूप से पृथक करें।
13. प्रत्येक खेल की प्रविष्टि पृथक - पृथक रूप से निर्धारित तिथि अनुसार भेजे। सभी खेलों की प्रविष्टि एक साथ एक पत्र में ना भेजे अन्यथा मान्य नहीं होगी। एथलेटिक, क्राँस कन्ट्री व क्रिकेट खेलों की प्रविष्टि आयोजन तिथि से एक माह पूर्व तथा अन्य खेलों की प्रविष्टि 10 दिवस पूर्व आयोजक महाविद्यालय व सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड, मदस विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

14. आयोजन सचिव विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक, अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व खिलाड़ियों के परिचय पत्र, योग्यता प्रोफोर्मा की जांच उपरान्त ही हस्ताक्षर करें। सेमीफाइनल में पंधुची टीमों के सभी मूल दस्तावेज, (अंकतालिकाओं) इत्यादि की जांच कर पुष्टि कर लें। सेमीफाइनल की टीमों का ग्रुप फोटो तथा मूल दस्तावेजों की जांच आवश्यक है। ड्रा के समय विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक व अध्यक्ष प्रतिनिधि आवश्यक रूपसे उपस्थित रहेंगे। ड्रा प्रतियोगिता की पूर्व संध्या को मैनेजर मीटिंग में डाला जायेगा। उसमें सभी मैनेजर का उपस्थित रहना आवश्यक है।
15. यदि पुरुष प्रतियोगिता में चार व महिला प्रतियोगिता में तीन दलों से कम संख्या हों तो केवल चयन स्पर्धा को ही आयोजित करावें तथा किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं दिया जावे।
16. दल के साथ शारीरिक शिक्षक अथवा व्याख्याता होने पर ही दल को प्रतियोगिता में भाग लेने दें।
17. गत वर्षों के विजेता महाविद्यालय चल वैजयन्ती को पॉलिश करवाकर सही स्थिति में संबंधित आयोजक महाविद्यालय को प्रतियोगिता से पूर्व भिजवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना दें। इस वर्ष की वैजयन्ती की प्राप्ति की रसीद की एक प्रति विजेता महाविद्यालय से लेकर आयोजन सचिव की रिपोर्ट के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें, शील्ड नहीं भेजने पर प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावेगा।
18. अन्तर महाविद्यालय पुरुष एवं महिला क्रॉस कन्ट्री प्रतियोगिता में केवल प्रथम तीन व्यक्तिगत स्थान प्राप्त करने वाले को ही प्रमाण-पत्र दें।
19. ऐथेलेटिक्स, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग में इस विश्वविद्यालय द्वारा ए.आई.यू. के सिक्स स्टेन्डर्ड के अनुसार ही अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता की बेस्ट परफोरमेन्स को योग्यता का मापदण्ड मानकर खिलाड़ियों का अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु चयन किया जावे। उपरोक्तानुसार सही नहीं पाये जाने पर चयन निरस्त समझा जावेगा एवं ऐसे खिलाड़ियों को किसी भी तरह का भत्ता देय नहीं होगा।
20. अन्तर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष/महिला के मैच 50-50 ओवर के होंगे।
21. व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के लिये निर्णायक शुल्क रुपये 800 एथेलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए रुपये 1000/- क्रिकेट पुरुष/महिला प्रतियोगिता के लिए प्रति मैच रुपये 1000/- तथा अन्य समस्त प्रतियोगिताओं के लिए प्रति मैच रुपये 600/- होंगे तथा किसी भी आयोजक महाविद्यालय द्वारा उक्त वर्णित राशि से अधिक राशि वसूलने की जानकारी प्राप्त होती है तो उस आयोजक महाविद्यालय को एक वर्ष के लिये डिबार कर दिया जायेगा। निर्णायक शुल्क का उपयोग पूर्णतया एवं निर्णयन हेतु किया जायेगा। निर्णायक शुल्क निर्णायकों के बीच प्रतियोगिता के बाद अध्यक्ष/आयोजन सचिव द्वारा वितरित किया जावेगा। इसका हिसाब महाविद्यालय प्राचार्य को संपूर्ण करना होगा।
22. मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों का परिणाम वैकल्पिक विषय में पूरक घोषित हुआ है, वे छात्र-छात्रा अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। पूरक का परिणाम पास होने पर भी केवल 'नियमित विद्यार्थी' होने पर भाग ले सकेगा।
23. पर्यवेक्षक/अध्यक्ष प्रतिनिधि/आयोजन सचिव को चयन सूची निर्धारित प्रपत्र में ही सचिव को भेजा जाना आवश्यक है। चयन सूची के प्रपत्र (परिशिष्ट 3) में निर्धारित संख्या एवं भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन अमान्य होगा। आयोजक महाविद्यालय चयनित खिलाड़ियों की सूची मैरिट के आधार पर ही प्रेषित करेंगे तथा रिजर्व सूची भी अलग से बनाकर प्रेषित करेंगे।
24. विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड के अन्तर्गत अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता इस वर्ष में जिन स्पर्धाओं का आयोजन होगा उनके आधार पर जनरल चैम्पियनशिप निर्धारित होगी।
25. अनुशासनहीन खिलाड़ियों का महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है और साथ ही मुख्य परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
26. कोच, मैनेजर, स्पोर्ट्स बोर्ड प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, आयोजन सचिव, प्राचार्य आदि को स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव एवं अनुभागाधिकारी द्वारा टेलिफोनिक मैसेज एवं अन्य संचार माध्यमों से दी गई सूचना को अधिकारिक सूचना माना जावे।
27. खेल प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु खिलाड़ी का नियमित छात्र होना तथा उसको परीक्षा में प्रविष्ट होना अत्यन्त अनिवार्य है ऐसा न होने पर भविष्य में भी खिलाड़ियों के खेलने पर भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जावेगा।

28. अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कौंस कन्ट्री दौड़ प्रतियोगिता ए.आई.यू.के नियमानुसार ही आयोजित की जावेगी। अतः पुरुषों में 6 धावक व महिलाओं में 6 धावक भाग लेंगे।
29. भाग लेने वाली सभी टीम निर्धारित किट में मय निर्धारित रंग के अपने झण्डे के साथ उपस्थित हों।
30. सभी प्रतियोगिताओं के लिये अनिवार्य है कि खिलाड़ी की उम्र 1 जुलाई को 17 वर्ष से कम व 25 वर्ष से ज्यादा ना हो।
31. आयोजक महाविद्यालय प्रत्येक मैच की 10 मिनट की विडियो क्लीपिंग तथा प्रत्येक मैच के 10 फोटो अनिवार्य रूपसे सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड को भेजेगें।
32. विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि का दायित्व है कि वे प्रतियोगिता समाप्ति के बाद चयनित खिलाड़ियों की सूची आवश्यक रूपसे सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड को सौंपेंगे।
33. सभी खेल संघों (Federation) के नियमानुसार खिलाड़ियों की संख्या होगी।
34. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु **“आयोजक महाविद्यालय खिलाड़ी छात्रों की Eligibility (पात्रता) पूर्णरूप से सुनिश्चित करेगा”**। यदि किसी छात्र/छात्रा को परिणाम नहीं आने की स्थिति में Provisionally खिलाया जाता है और परिणाम बाद में आने पर छात्र फ़ैल हो जाता है तो उसकी Provisional पात्रता रद्द कर दी जायेगी तथा किसी भी स्थिति में प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की Eligibility प्रतियोगिता शुरू होने से पूर्व आयोजक महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही खिलाड़ियों को खेलने दिया जाये।
35. ए.आई.यू. से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त महाविद्यालय, स्पोर्ट्स बोर्ड व आयोजक महाविद्यालय से सम्पर्क बनाए रखे। तिथियों में परिवर्तन संभावित है, अतः प्रतिस्पर्धी महाविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड व आयोजक महाविद्यालय से सम्पर्क कायम रखे।
36. सभी प्रतिभागी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क जमा कराना आवश्यक है। इसकी रसीद प्राप्त होने के पश्चात ही आयोजक महाविद्यालय इन्हे प्रतियोगिता में शामिल करें।
37. आयोजक महाविद्यालय द्वारा सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के रहने की समुचित व्यवस्था करनी होगी। जिसमें बिस्तर, पानी इत्यादि की व्यवस्था आवश्यक है।
38. शूटिंग (म0/पु0) प्रतियोगिता में एयर पिस्टल व राईफल 10 मीटर एवं आर्चरी(म0/पु0) सिर्फ इण्डियन राऊण्ड खिलाया जायेगा।
39. वर्तमान सत्र की समस्त आगामी अन्तर महाविद्यालयी प्रतियोगिताएं ए.आई.यू.के नवीनीकृत निर्देशानुसार होगी।
40. माननीय कुलपति महोदय के आदेश क्रमांक 4710-5219 दिनांक 25.02.2025 के अनुसार सभी आयोजक महाविद्यालय फाईनल मैच खत्म होने के पश्चात चयन किये गये खिलाड़ियों की सूची उसी दिन प्रेस के माध्यम से जारी करेंगे और एक प्रति महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
41. आयुक्तालय/मान्यता प्राप्त संस्था से जारी प्रवेश की अन्तिम तिथि ही सभी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मान्य होगी।
42. स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक की नियुक्ति हेतु 65 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए।

  
डॉ. तपेश्वर कुमार  
सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड